परिषदादेश संख्या–01/2013

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

दिनांकः 29 अक्टूबर 2013

विषयः **मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके पत्र संख्या–6/7–मूलेख/2013–14 दिनांक 01 अक्टूबर 2013 द्वारा जनपद के मृत राजस्व उप निरीक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण में भेजे जाने के सम्बन्ध में परिषद से आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने का निवेदन है।

2. इस सम्बन्ध में मुझसे परिषद का मार्गदर्शन निम्नप्रकार आपको सूचित करने की अपेक्षा की गई है:–

(1)उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974(उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के प्रस्तर–5 में मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः–

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है:

चूँकि मृतक आश्रित को सेवायोजन देने का तात्कालिक महत्व है। अतः मृतक आश्रित को परामर्श दिया जाय कि वे उपलब्ध विभागीय पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने पर विचार करें। यदि सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच साल के भीतर उसके परिवार में किसी आश्रित सदस्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं हो जाती है तो इस अवधि के पश्चात उसे मृतक आश्रित के आधार पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है।

(2)उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम–8 से 16 में प्रावधान उल्लिखित किये गये हैं, तथापि इच्छुक मृतक आश्रित को शैक्षिक एवं शारीरिक रूप से अर्ह

.....2.....

होने की स्थिति में सेवा नियमावली के आलोक में प्रशिक्षण हेतु चयन प्रकिया से छूट प्रदान करते हुये उनका नाम प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है, परन्तु सम्बन्धित अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण हेतु चयनित कर लिए जाने के पश्चात मृतक आश्रित के रूप में उनके सेवायोजन का अवसर समाप्त समझा जायेगा जबकि प्रशिक्षण उपरान्त नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 के नियम—29(1) के अनुसार मात्र प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही, अन्यथा उपयुक्त होने पर, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा और निर्धारित वरिष्ठताकमानुसार नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

अतएव इच्छुक एवं अर्ह मृतक आश्रित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974(उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) का लाभ देते हुये उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट चयन प्रकिया को शिथिल कर राजस्व उप निरक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है, परन्तु ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974(उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) द्वारा प्रदत्त सुविधा उपयोग माना जायेगा, चाहे अभ्यर्थी प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) के पद पर नियुक्ति हेतु अन्यथा अनर्ह पाया जाये।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश संख्या एवं तद्दिनाक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1.आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड(पौड़ी गढवाल को छोड़कर)।
3.सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
4.सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग, देहरादून।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।